International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 4; Issue 5; May 2017; Page No. 274-277

भारत में महिला सशक्तिकरण : एक विवेचना

बृजेश कुमार यादव

शोधछात्र (समाजशास्त्र), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत।

सांराश

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की आधी आबादी (स्त्रि) की भूमिका की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। आधी आबादी किसी भी कारण से निष्क्रिय रहती है, तो उस राष्ट्र या समाज की समुचित एवं उल्लेखनीय प्रगति के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। महिलाओं की स्थिति वैदीक एवं उत्तर वैदीक काल तक ठीक थी परन्तु मध्यकाल अति–अति समाज में ब्याप्त अनेक कुरीतियों ने स्त्रियों की स्थिति को अधिक बदतर कर दिया। वाह्य आक्रमणकारीयों, अन्तर देशीय व्यापार, मूगल शासन, केन्द्रीय सत्ता का विनष्ट होना और शासको की विलासीता पुर्ण पद्धति ने महिलाओं को उपयोग की वस्तु बना दिया जिससे उनकी स्वतन्त्रता, शिक्षा तथा उनके अधिकार बाधित होने लगे। जिसके कारण अनेक कुरीतियाँ व्याप हो गयी। महिलाओं के इन स्थितियों के दूर करने तथा उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वतन्त्रता पूर्वक अनेक समाज सुधारकों तथा महिला संगठनों ने अनेक प्रयास किये जिसके परिणाम स्वरूप सति प्रथा पर रोक, विधवा पूर्वविवाह इत्यादि फुरीतियाँ दुर हुई। स्वतन्त्रता पश्चात महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक सवैधानिक प्रयास, कल्याणकारी योजनाओं तथा नीतियों महिलाओं मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

मूल शब्दः महिला सशक्तिकरण, सवैधानिक प्रयास, योजना तथा नीति द्वारा प्रयास, समाज सुधारकों द्वारा किया गया प्रयास।

प्रस्तावना

मनुस्मृति का यह चिर–परिचित श्लोक–यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमंते तत्र देवताः' इस बात का संकेत देता है कि प्राचीन काल भारतीय महिलाओं का स्वर्णिम काल था। तत्कालीन समाज पुरुष प्रधान व्यवस्था होने के बावजूद भी उस समय के समाज में महिलाओं का सम्मान था, प्रतिष्ठा थी और उन्हें आगे बढ़ने की पूर्ण स्वतंत्रता थी अपने आध्यात्मिक ज्ञान और अगाध प्रतिभा से वह समाज को यह बताने में सक्षम हुईं कि वे पुरुषों से किसी भी स्तर पर कम नहीं है। परन्तु मध्यकाल में स्थिति उतनी सुखद नहीं थी। उनकी प्रगती अवरुद्ध रही। स्त्रियों की पारिवारिक स्थिति में युग–युगानतर परिवर्तन होते रहे उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर पूर्व मध्यकाल तक अनेक उतार–चढ़ाव आते रहे। जहाँ वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था। उसे देवी सहधर्मिणी अर्द्धागिनी, सहचरी माना जाता था। स्मृति काल में भी उसे सम्मान के दृष्टि से देखा जाता था। पौराणिक काल में उसे शक्ति का स्वरूप समझकर उसकी अराधना कि जाती रही है वहीं मध्य काल आते–आते उनकी दशा दयनीय होती गयी। 11वीं शाताब्दी से 19वीं शाताब्दी के बिच भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। एक तरह से यह महिलाओं के सम्मान, विकास और सशक्तिकरण का अंधकार युग था। वाह्य आक्रमणकारीयों अर्न्तरदेशीय व्यापार, मूगलशासन, सामन्तीव्यवस्था केन्द्रीय सत्ता का विनष्ट होना और शासको की विलाशीता पूर्ण प्रद्धति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया और उनका क्रय विक्रय किया जाने लगा, तथा उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें परदे में रखा जाने लगा, जिससे उनकी शिक्षा एवं स्वतंत्रता बाधित होने लगी। महिलाएं घर की चार–दिवारी तक सीमित हो गई। समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाएँ व्याप्त होने लगी। जैसे– सत्ती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा की दयनीय स्थिति, परदा प्रथा, स्त्रि अशिक्षा, दहेज प्रथा, बहुमूल्य इत्यादि मध्य युगिन रूढ़ियाँ भारत की नारियों के अल्प विकास के सामाजिक कारक बनाये गये।

अध्ययन का उद्देश्य

महिला सशक्तिकरण के लिए किये गये प्रयासों का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

सवैधानिक, सरकारी नीतियों एवं योजनाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण का सफल प्रयास किया जा रहा है।

अध्ययन की विधि एवम तथ्य संकलन

प्रस्तुत अध्ययन की विधि विवरणात्मक है, और अध्ययन की विश्वसनीयता पूर्वतयः द्वितीयक सामाग्री के विश्लेषण पर आधारित है।

भारत में स्त्रियों की इस निम्न स्थिति के लिए अनेक कारक उत्तरदायी रहे। जहाँ हिन्दू धर्म में प्राचीन काल से ही स्त्रियों को कई अधिकारों से वंचित रखा गया उन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश व शिक्षा की अनुमति नहीं दी गयी, परिवार के पितृसत्तात्मक होने के कारण भी सत्ता संरचना में स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए, संयुक्त परिवार एवं जाति व्यवस्था के नियम भी स्त्रियों की स्थिति निम्न बनाने के उत्तरदायी रहे तो वहीं आधुनिक समय में भी महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, उनमें व्याप्त व्यापक अशिक्षा और राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के कारण आज भी महिलाएँ पुरुषों के समक्ष समानता के अधिकार से वंचित है उदारीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति ने महिलाओं को आज उपभोग की वस्तु के रूप में प्रचारित किया है। जिससे उनकी स्थिति निम्न हुई है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में चालीस प्रतिशत विवाहित महिलाओं को महज इस कारण प्रताड़ित किया जाता है कि उसके द्वारा बनाया भोजन या उनके काम पसन्द नहीं आए। खुद महिलाओं की सोच में इन बातों का असर इतना ज्यादा है कि कई बार वे खुद हिंसा का समर्थन करने

लगती है। जिससे इन यातनाओं का असर उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ पर पड़ता है। समाज में आज भी उत्पीड़न सर्वाधिक रूप से विधवाओं का हो रहा है। युवा विधवाओं को तो अनेक प्रतिबंधों में जीना होता है इस पर यदि वह कामकाजी महिला है, तो उसके चरित्र पर किचड़ उछालने और ताने देने में लोगों को जरा भी संकोच नहीं होता। विधवा महिलाओं में वेसहारा महिलाओं को यदि जीविकोपार्जन का साधन नहीं मिलता तो कई बार वे नैतिक, अनैतिक कार्य करने को विवश हो जाती है। जो ऐसा नहीं कर पाती वे परेशान होकर अक्सर आत्महत्या का रास्ता अपना लेती है। महिलाओं से छेड़छाड़, बालात्कार और कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के अलावा अन्य महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएँ भी लगातार हो रही है।

महिलाओं के इस निम्न स्थिति को सुधारने तथा उनको बेहतर बनाने के लिए अनेक समाज सुधारकों, स्वयं सेवी महिला संगठनों तथा संविधान द्वारा अनेक प्रयास किये गये। इन प्रयासों को हम दो भागों में विभक्त करेगे।

1. स्वतन्त्रता के पूर्व किये गये प्रयास

भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तथा महिलाओं के गिरी हुई दशा को उठाने के लिए 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के कुछ समाज सेवियों जैसे राजा राम मोहन राय (1774–1833), ईश्वर चन्द्र विधासागर (1820–1871), स्वामी दयानन्द सरस्वती (1827–1983), केशव चन्द्र सेन (1838–1884), स्वामी विवेकानन्द (1968–1902) इत्यादि ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरूद्ध आवाज उठायी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासको के समक्ष स्त्री पुरुष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक की आवाज उठाई। इसी का परिणाम था सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, हिन्दू विधवा पूनर्विवाह अधिनियम 1856, में एज ऑफ कन्सटेन्ट बिल और बहुविवाह रोकने के लिए वेटिव मैरिज एक्ट पास कराया। इन सभी कानूनो का समाज पर दूरगामी परिणाम हुआ। वर्षों के नारी स्थिति में आयी गिरावट पर रोक लगी। आने वाले समय में स्त्रि जागरूकता मे वृद्धि हुई और नये नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ जिसकी मुख्य मांग थी स्त्रि शिक्षा, दहेज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक, महिला अधिकार और महिला शिक्षा की मांग इत्यादि।

महिलाओं के इस उन्नती में अनेक स्वयं सेवी महिला संगठनों का योगदान प्रशसनीय रहा है और इनके द्वारा भारतीय महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक दशा को सुधारने के व्यवहारिक प्रयास हुएँ है। इन प्रयासों को निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है।

बंगाल में नारी उत्थान का कार्य 1878 में बंगाल महिला समाज की स्थापना से हुआ। 1886 में टैगोर परिवार की महिला स्वर्ण कुमारी देवी ने कोलकाता में सखी–समिति की स्थापना की। इन संगठनों में महिलाए अपनी समस्या पर विचार–विमर्श करती थी। उस दौरान में महिलाओं के बारे में ऐसा विचार–विमर्श एक अभूत पूर्व घटना मानी जाती थी। महाराष्ट्र प्रान्त में नारी उत्थान संगठन का बहुत कुछ श्रेय पण्डित रमाबाई (1858–1922) को है। उन्ही के प्रयास से सन् 1922 पूना में आर्य महिला समाज की स्थापना सम्भव हो सकी। उन्होंने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अन्तरप्रांन्तिय, अन्तरजातिय विवाह किया, महिलाओ को मेडिकल शिक्षा दिये जाने के लिए विशेष प्रयास भी किया और इन्होंने मुम्बई में शारदा सदन की स्थापना की। इतना ही नहीं, उन्होने महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा के लिए मुक्ति सदन नामक संस्थान के सुचारू रूप से चलाया।

सन् 1884 में न्यायाधीश गोविन्द रानाडे की पत्नि श्रीमति रमाबाई रनाडे ने अपने घर पर नारी उत्थान की दृष्टि से हिन्दु महिला क्लब की स्थापना की, 1909 में पूना सेवा सदन की शुरूवात की जहा अनपढ़ और विधवा महिलाओं को शिक्षित किया जाता था, और नर्सिंग मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना के द्वारा महिलाओं को नर्सिग प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध थी।

20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के दो महत्वपूर्ण स्वयं सेवी संगठनों में गुजरात नारी महामण्डल (1908) व भगिनी समाज (1908) का उल्लेख किया जा सकता है। इन संगठनों ने महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए सत्त संघर्ष किया। इतना ही नहीं, श्रीमति सरोज नलिनी दत्त ने जिलो, नगरो व कहीं–कहीं ग्रामों में भी महिला समितियों का गठन किया इन समितियों का कार्य महिलाओं को सामान्य शिक्षा देने के साथ–साथ उन्हें स्वच्छता व स्वस्थता सम्बन्धी नियमों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराना था।

20वीं शाताब्दी के दूसरे दशक में नारी उत्थान 1917 का वर्ष भारतीय नारियों की प्रगति के दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है इस वर्ष सरोजनी नायडू के नेतृत्व में भारत सचिव मिस्टर मॉटेग्यू को ज्ञापन दिया गया और महिलाओं के लिए मताधिकार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की मांग की गयी। मद्रास प्रान्त में भारतीय महिला सभा का गठन होना और श्रीमति एनी बेसेन्ट को अखिल भारतीय काग्रेंस के कलकत्ता अधिवेशन का सभापति चुना जाना भी दूसरी वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं है। इस अधिवेशन में महिलाओं के मताधिकार और शासन के विभिन्न पदों पर चुने जाने सम्बन्धि अधिकारों की महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई।

भारत में नारी उत्थान के लिए तीन विदेशी महिलाएँ एनी बेसेन्ट (1847–1933), सिस्टर निवेदिता (1867–1911), तथा मार्गरेट कंजिस (1878–1954) का विशेष योगदान रहा है। मार्गेरेट कजिस ने 1926 में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के राज्य स्तर के अधिवेशन सम्पन्न कराएँ। इन्हीं के प्रयासो के कलस्वरूप 1927 के जनवरी माह में अखिलभारतीय महिला सभा का प्रथम अधिवेशन पूना में सम्भव हो सका।

2. स्वतन्त्रता के पश्चात किये गये प्रयास

स्वतन्त्रता के बाद भारत में औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बाद भारत का पूनर्निमाण कि अपनी क्षमता के लिए सविंधान का निर्माण किया गया जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ ही अभिव्यक्ति–विचार, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता तथा समानता के अवसर को लक्ष्य के रूप में रखा गया। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, नीतिनिर्देशक सिद्धान्त और मूल अधिकारों के माध्यम से इन लक्ष्यों के पूर्ति के प्रयास आरम्भ हुए। इन प्रयासों का एक प्रमुख लक्ष्य स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार लाना भी था।

भारत में स्त्रियों के परिस्थिति में सुधार हेतु राज्य द्वारा किये प्रयासो को दो रूपो में देखा जा सकता है।

i) संवैधानिक प्रयास
ii) कल्याणकारी नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं द्वारा किये गये प्रयास

i) संवैधानिक प्रयास

इसके अन्तर्रगत सविधांन निर्माताओं ने महिलाओं कि सशक्तिकरण तथा उनके दशा में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया था। अतः संविधान में न केवल उनको कुछ विशेषाधिकार दिये गए बल्कि राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में भी उसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 14 के माध्यम से उन्हे ''विधि के समक्ष समानता'' और ''विधियो का समान संरक्षण'' प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 15 (1) में लिंग के आधार पर भेद भाव को प्रतिबन्धित किया गया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु विषेश प्रावधान करने के अधिकार अनुच्छेद 15(2) के माध्यम से दिया गया। साथ ही सरकारी नियोजन में लिंग के आधार पर भेद का विरोध अनुच्छेद

16(1) के अंतर्गत किया गया है।

संविधान में नीति–निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य को योजना निर्माण करने व कल्याणकारी भूमिका का निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया। इसके तहत समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39(क), घन का समान वितरण अनुच्देद 39(ग), अनुच्छेद 40 के अन्तरर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद (41), महिलाओं के लिए प्रसूती सहायता का उपलब्ध अनुच्छेद 42, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 तथा मौलिक कर्त्तव्य 51(क) आदि का प्रावधान किया गया है।

संविधान निर्माण के समय विधिवेत्ताओं ने हालांकि महिला प्रस्थिति उन्यन हेतु मूलसंविधान में अनेक प्रयास किये है परन्तु परिवर्तीत समय के अनुसार इसमें विशेष सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। साथ ही साथ समय–समय पर विभिन्न कानून बनाकर भी प्रयास किया जाता रहा है, जैसे– हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हिन्दू महिलाओं को उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये गये। किन्तु इस अधिनियम के प्रावधान ''पुरुष श्रेष्ठता'' की धारणा से प्रमाणित रहे। अतः 2005 के संसोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में पुरुषों के समान ही उत्तराधिकार प्रदान किये गये है।

वैवाहिक कानून, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के माध्यम से महिलाओं के क्षेत्र में कई तरह की समानता प्रदान की गई। जिसने इनकी परिस्थिति सुधार को सम्भव बनाया परन्तु मुस्लिम व्यक्तिगत कानून 1937 और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत मुस्लिम महिलाओं के अधिकार अभी भी सीमित है।

संरक्षण सम्बन्धी विधान में बच्चों ने सरक्षण के रूप में माता के अधिकार को हिन्दू अवस्कता संरक्षण अधिनियम 1956 और अभिभावक तथा अश्रित अधिनियम 1990 के द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया गया है। परन्तु माँ का अधिकार अभी भी पिता से कम है।

रोजगार सम्बन्धी विधान से संविधान द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके लिए शोषण रहित उचित वातावरण प्रदान करना राज्य का कर्तव्य माना गया है विभिन्न कारखाना अधिनियम के माध्यम से महिला कामगारो के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और काम के घण्टे इत्यादि के सन्दर्भ में कानून बनाये गये हैं।

सामाजिक और घरेलू उत्पीड़न सम्बन्धित विधान के अर्न्तगत समाज में महिलाओं के घरेलू उत्पीड़न को रोकने तथा प्रोद्योगिक उन्नयन के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, 1986 में पारित किये गये। 2003 में दहेज लेना और देना दोनों दण्डनीय और गैर जमानती अपराध माने गये।

26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। जिसके तहत शारीरिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, यौन हिंसा, मौखिक हिंसा को घरेलू हिंसा के रूप में परिभाषित किया गया।

महिला सशक्तिकरण का एक अहम पहलू महिलाओं का राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण भी है। इस तथ्य की महत्ता को समझते हुए महिला आरक्षण विधेयक का प्रस्ताव बनाया गया है। जिसके तहत निम्न प्रावधान शामील है। अनुच्छेद 330 के तहत लोक सभा के कूल स्थानों में से 1/3 भाग यथासंमभ महिलाओं के लिए आरक्षित करना। अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधान सभाओं में महिला हेतु स्थान आरक्षित करना और अनुच्छेद 333 भाग (1) के तहत लोक सभा में महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित करना।

इन सभी के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के धारायें संविधान निर्माताओं द्वारा बनाई गयी। जो महिलाओं को सशक्तिकृत करती है जैसे–अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976, मेडिकल टर्मीनल ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट 1987, लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट–1994 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट–2013 इत्यादि द्वारा भी महिलाओं को कानूनी अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वैधानिक स्तर पर महिला उन्नयन हेतु अनेक प्रयास किये गये है।

ii) कल्याणकारी नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रयास

महिलाओं के संदर्भ में कल्याणकारी राज्य की विकास नीति को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जा सकता है।

(1) कल्याणेन्मुखी विकास नीति (1950–75) तक, (2) विकास में एकीकरण की नीति (1975–85) तक (3) महिलासशक्तिकरण की नीति (1985)।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साम्यवादी रूप से प्रेरणा प्राप्त कर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के सामाजिक, आर्थिक विकास का आरम्भ हुआ। उस समय इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को परिवार, समुदाय तथा समाज में वैध भूमिका निभाने के लिए यथोचित सुविधाओं को उपलब्ध कराना था। 70 के दशक में कई राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से महिलाओं के मुद्दे सार्वजनिक बहस के केन्द्र बन गए। इसी काल में गठित एक समिति की रिपोर्ट ''समानता की ओर'' इस भ्रम को तोड़ा संविधान के द्वारा समानता के अधिकार मिल जाने से विकास के लाभ भी समान रूप से प्राप्त होगे। यह सही नहीं है। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया कि योजना बनाने कि प्रक्रिया में त्रुटी के कारण करगर ढ़ग से लैगिंक मुद्दों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जा सका। पूरी विकास प्रक्रिया में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य का अभाव और नीति–निर्माताओं तथा आयोजकों की असवेंदनशीलता पर बहस आरम्भ हो गयी।

1975 ई0 के बाद कई महिला संगठन बने जिन्हों ने मुख्यतः औरतों के विरूद्ध हिंसा के मुद्दों पर कार्य शुरू किया और शिक्षा में बदलाव हेतु सरकार पर दबाव डाले। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी 70 के दशक में जनसंख्या, परिवार में उनकी स्थिति, विकास का महिला पर प्रभाव आदि विषयों पर चर्चा प्रारम्भ हुई फलतः विकास में औरतों को शामिल किये जाने की धारणा का जन्म हुआ।

छठी पंचवर्षीय योजनाओं में पहली बार ''महिला और विकास'' पर अलग से ध्यान दिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि विकास और आर्थिक मुद्दों को औरतों से सम्बन्धित नहीं मानने से महिलाएँ और भी हाशियें पर चली गई है। अतः महिलाओं के विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को केन्द्रीय महत्व दिय गया।

7वीं पंचवर्षीय योजना में भी इस दिशा में प्रयास किये गये और उपरोक्त के अलावा चेतना वृद्धि, कानूनी सहायता आदि सेवाएँ उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सर्वाधिक बल प्रशिक्षण और रोजगार आदि पर रहा। आई0आर0डी0जी0, ट्राईसेम, एन0आर0ई0पी0 आदि कार्यक्रम भी शुरू किये गए। इन सब के अतिरिक्त कुछ महिला केन्द्रित कार्यक्रम भी प्रारम्भ किये गये यथा ड्वाकरा (DWACRA), एस0टी0आर0पी0। इस प्रकार महिला विकास कार्यक्रम पर भी जोर दिया गया।

महिला के स्थिति को सुधारने के लिए 1985 में नैरोबी सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का जन्म हुआ जिसने महिलाओं को मात्र कार्यक्रमो का लाभ भोगी न बनाकर के उन्हें स्वयं के छवि और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर बल दिया गया। फलतः भारत में भी महिला विकास के साथ–साथ अब जो नारा सामने आया है। वह महिला सशक्तिकरण का है। समय के साथ जो परिवर्तन हुए है उनमें सशक्तिकरण के प्रयासों में गति आयी और 2001 को ''महिला सशक्तिकरण'' वर्ष घोषित किया गया पहली बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई ताकी महिलाओं के उत्थान और समुचित विकास के लिए आधारभूत व्यवस्थाएं निर्धारित कि जा सकें।

इस नीति के अन्तर्गत देश में महिलाओं के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ और सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करना, मानवाधिकार के उपयोग में उन्हे सक्षम बनाना, समाज में समान भागीदारी हेतु उन्हें प्रोत्साहीत करना इत्यादि शामिल था।

वर्तमान में सशक्तिकरण के उद्देश्य को पुरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्न कार्यक्रमों और योजनाओं कभी संचालन किया जा रहा हैं।

सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वावलंबन योजना चलाई गयी है। जिसके द्वारा टिकाऊ आधार पर रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त करने में मदत करना हैं। एस0टी0ई0पी0 भी रोजगार एवं प्रशिक्षण से जुड़ा कार्यक्रम है जिसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, रेशम किट पालन आदि क्षेत्रों में महिलाओं को महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना हैं। जहाँ स्वयं सिद्ध योजना के द्वारा महिलाओं को ''स्वयं सहायता समूह'' में संगठीत करके इसमें सेवाओं के समन्वय और छोटे उपक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता हैं, वही है स्वयं शक्ति योजना द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम में महिलाओं को कड़े सामाजिक श्रम से मूक्ति तथा स्वास्थ्य, साक्षरता और आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की जाती हैं। इन सब के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के योजना जैसे– स्वाधार योजना, शक्ति परियोजना, बलिका समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला आयोग इत्यादि योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। जिससे महिला सशक्तिकरण की तरफ एक सफल प्रयास माना जा रहा हैं।

निष्कर्ष

स्पष्ट है संवैधानिक प्रयास, सरकारी प्रयास, कल्याणोमुखी और सशक्तिकरण की ओर उन्मुख क्रार्यक्रमों, महिला आयोग की तत्परता, आधुनिक और उदारवादी नियमों के प्रभाव से महिला स्थिति में सुधार तो हुआ है। परन्तु अभी भी महिला सशक्तिकरण लक्ष्य अभी दूर है। पुरुष तानाशाही, निम्न स्तर पर शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाएँ उपेक्षित वर्ग तक नहीं पहुँच पाने की समस्या सशक्तिकरण के इस प्रयास में बाधक बनी हुई है।

महिला सशक्तिकरण के लिए निःसन्देह सरकार द्वारा संवैधानिक प्रयास तथा कई योजनाएं चलाई गई और कई तरह के प्रयास किये गए। बावजूद इसके अभी भी विचारों, संस्कारों में उन्हें यथेष्ट समकक्षता प्राप्त करने में उन्हें देर हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अहुजा, राम : भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन जयपुर, नई दिल्ली (1999).
2. सिंह, सुनिल कुमारः सामान्य ज्ञान, लूसेन्ट प्रकाशन, पटना 2014.
3. ओझा, एस0के0ः सामाजशास्त्र, नेट ट्यूटर, अरिहन्त प्रकाशन, मेरठ, यू0पी0.
4. पाण्डेय, एस0एसः समाजशास्त्र, टाटामैग्राहिल, न्यू दिल्ली.
5. राज कुमार डॉ0ः नारी के बदलते आयाम, अर्जून पब्लिशिंग हाऊस, 2005
6. googleweblight.com/i?u=http://www.rachanakar.org/2015/08/blog-post_580.html?m%3D1&grqid=sAypNlV1&hl=en-IN
7. https://www.google.co.in/amp/www.hindikiduniya.com/essay/women-empowerment-essay-in-hindi/amp/
8. www.gyanipandit.com/mahila-sashaktikaran-essay-in-hindi/
9. www.vivacepanorama.com/womens-development-plans-and-programs/